4.12.18 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । उपस्थित अधिवक्ता को स्थगन पत्र पर सुना गया। अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने 49 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी ठोस कारण दिये ही म्याद को कण्डोन कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अतः राजस्व अपील संख्या 24/2015 मे पारित त्रुटिपूर्ण अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2018 की पालन व प्रभाव को स्थगत करने का आदेश प्रदान करावें।

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। जिससे पाया गया कि अपीलान्ट को निस्बत आवंटन आदेश 8.6.1966 को खारिज कर दिया गया था। अपीलान्ट ने विधि विरूद्ध तरीके से बिना वैद्यानिक आधार के उक्त खारिज आवंटन आदेश का नामान्तरकरण अपने नाम करवा दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधि विरूद्ध स्वीकृत नामान्तरकरण को निरस्त करने मे कोई कानूनी भूल नही की है। विधि विरूद्ध के आदेश को निरस्त करने हेतु मियाद बाधित नही है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे किसी प्रकार का स्थगन आदेश दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना अस्वीकार किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टार हो कर नम्बर से कम हो।

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिशनर,
जोधपुर